दक्षिण रेलवे/**SOUTHERN RAILWAY**

No.P(R)436/IREC/Vol.IV

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated:29-02-2016

आर बी ई सं/**RBE No. 14 / 2016** पी बी सी सं/ **PBC No: 28 / 2016**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Amendment to the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition 2008) Chapter – V – Leave Rules.

******

Railway Board vide their letter No.E(P&A)I-2013/CPC/LE-2 dt 05(-02-2016 (RBE No. 14 / 2016) alongwith Advance Correction Slip No. 129 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(B.Indumathy)
Asst. Personnel Officer/M&E.
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार /**GOVERNMENT OF INDIA**

रेल मंत्रालय /**MINISTRY OF RAILWAYS**

(रेलवे बोर्ड /**RAILWAY BOARD**)

GENERAL MANAGER'S OFFICE
19 FEB 2016
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नै/Chennai-600 003

RBE No. 14 /2016.

No.E(P&A)I-2013/CPC/LE-2 New Delhi, dated.05.02.2016

The General Managers/FA&CAOs,
All Indian Railways and Production Units etc.

Sub: Amendment to the Indian Railway Establishment Code, Volume I, 1985 Edition (Reprint Edition 2008) Chapter V - Leave Rules.

*****

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 510 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 edition (Reprint Edition-2008) may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 129 .

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.

DA: Correction Slip.

(S. R. Kanaujia)
Joint Director Estt.(P&A)
Railway Board

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-I, 1985 Edition- (THIRD REPRINT EDITION - 2008)

Advance Correction Slip No. 129

The following amendments may be made to Rule 510 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition - 2008):-

Rule 510 may be substituted as under:-

510- Maximun amount of continuous leave.

(1) *No Railway servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.*

(2) *Unless the President, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, a Railway servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Railway service;*

Provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence shall be given to that Railway servant before provisions of sub-rule (2) are invoked.

Railway Ministry's Decisions -

1. ***In the case of all Group 'C' including erstwhile Group 'D' railway employees, the power to grant the leave beyond maximum period of 5 years is delegated to concerned GMs. However, the leave should be sanctioned only with financial concurrence of FA&CAO and personal recommendation of CPO with the rider this power shall not be delegated further down below.***

2. ***The power be excercised in rare and exceptional cases only, for which a speaking order clearly bringing out the circumstances as to why it is being proposed are brought out.***

3. ***In case of other Groups, the existing provisions will continue'.***

(Authority Board's letter No. E(P&A)I-2013/CPC/LE-2 dated 05.08.2016 based on corresponding instructions of DOP&T contained in OM No. 13026/3/2012-Estt.(Leave) dated 28.03.2013 and their ID No. 13026/1/2013-Estt.(Leave) dated 21.04.2015)

*****

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

आरबीई सं. 14 /2016

सं. ई(पी एंड ए)I-2013/सीपीसी/एलई-2 नई दिल्ली, दिनांक 05.02.2016

महाप्रबंधक/विस एवं मुलेधि,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

दक्षिण रेलवे, (मद्रास) चेन्नई

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- I,1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण2008)

अध्याय V- छुट्टी नियम में संशोधन.

******

राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- I, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) के नियम 510 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.----------129 के अनुसार संशोधन किया जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया पावती दें.

संलग्न: शुद्धि पर्ची

(एस. आर कमोजिया)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 129

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण -2008) के नियम 510 में निम्न संशोधन किया जाए:-

नियम-510 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए:-

510- निरंतर छुट्टी की अधिकतम मात्रा-

(1) *किसी भी रेल सेवक को, किसी भी प्रकार की छुट्टी, पांच वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी.*

(2) *जब तक कि राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करें, रेल सेवक जो कि विदेश सेवा के अलावा पांच वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए छुट्टी लेकर अथवा बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे रेल सेवक को रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया माना जाएगा;*

बशर्ते कि उप-नियम(2) के प्रावधानों के आह्वान से पहले रेल सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं.

रेल मंत्रालय का निर्णय -

1. *पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' रेल कर्मचारियों सहित सभी ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के बाद छुट्टी प्रदान करने का अधिकार संबंधित महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित किया गया है. बहरहाल, यह छुट्टी वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की वित्तीय सहमति और मुख्य कार्मिक अधिकारी की निजी सिफारिश से स्वीकृत की जानी चाहिए और इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि इस शक्ति का इससे निचले ओहदे पर प्रत्यायोजन नहीं किया जाना चाहिए.*

2. *इस अधिकार का प्रयोग विरले और आपवादिक मामलों में ही किया जाए, जिसके लिए एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए जिसमें उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जिनमें इसे प्रस्तावित किया जा रहा है.*

3. *अन्य समूहों के मामलों में, मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे:*

(प्राधिकार: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13026/3/2012-ई(लिव) दिनांक 28.03.2013 तथा उनके आईडी सं. 13026/1/2013 ई(लिव) दिनांक 21.04.2015 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के तदनुरूपी आधार पर रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2013/सीपीसी/ एलई-2 दिनांक 05 .02.2016)

******